कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः—449 /11—सी—FP/UP/Pipeline/143751/2021, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 04 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
झांसी।

विषयः— जनपद—झांसी में अदानी टोटल गैस लि0, झांसी द्वारा 200mm Dia कार्बन स्टील पाईप लाइन बिछाने हेतु झांसी—शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—27 के किमी0 सं0—86 से 93.500 (कुल 7.500 किमी0) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं झांसी—ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—44 के किमी सं0—6.500 से 18.200 (कुल 11.700 किमी0) तक प्रभावित 0.351 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.576 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन ब्लाक में प्रभावित 0.06 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल प्रभावित 0.636 हे0 वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्रांक—3214/11—सी—FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांक 17.05.2022 एवं आपका पत्रांक—210/15—1, दिनांक 25.07.2022

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इस इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में पुनः निम्नलिखित कमियॉं/अभिलेखों का आभाव पाया गया है, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक हैः—

1. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0—31 एवं 33 पर संलग्न संयुक्त जॉच रिपोर्ट में क्रमशः 0.15 हे0 गैर संरक्षित वनभूमि एवं 0.342 हे0 गैर संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.492 हे0 गैर संरक्षित वनभूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन पार्ट—1 में प्रभावित गैर वनभूमि (गैर संरक्षित वनभूमि) को शून्य दर्शाया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण एवं विरोधाभाष है। अतः सही सूचना संयुक्त जॉच रिपोर्ट एवं ऑनलाइन पार्ट—1 में फीड करें।
2. प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में *"परियोजना में दर्शित वन भूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है"* का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न एन0एच0ए0आई0 के एन0ओ0सी0 में कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन मार्ग के दोनों पटरियों दायी एवं बांयी तरफ बिछाये जाने का उल्लेख है, जबकि ऑनलाइन पार्ट—1 एवं प्रस्ताव में संलग्न अन्य अभिलेखों में कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन मार्ग के केवल बांयी तरफ ही बिछाये जाने का उल्लेख किया गया है, जोकि विरोधाभाष है। अतः स्थिति स्पष्ट कर सही अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें।
4. परियोजना में 0.576 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, जिसके सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं है। अतः छूट के सम्बन्ध में भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक—FC-11/165/2019-FC, दिनांक 27.07.2020 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉं प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 449 /11—सी—FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
2. उप प्रबन्धक, अदानी टोटल गैस लि0, झांसी।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-929